M.P. Trade & Investment Facilitation Corporation Ltd.
15 FEB 2017
Inward No. 7114

मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग
मंत्रालय, भोपाल
:: आदेश ::

भोपाल दिनांक 15/02.2017

क्र. एफ 16-13/2016/ए-ग्यारह: राज्य शासन द्वारा मेसर्स सागर मेन्युफेक्चरिंग प्रा.लि. का लगभग रू. 936.64 करोड के स्थाई पूंजी निवेश से तामोट जिला रायसेन में विस्तार संबंधी प्रस्ताव को बडी संख्या में स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार के अवसर एवं वृहद निवेश के दृष्टिगत विचारोपरांत निम्नानुसार सुविधायें दिये जाने का निर्णय लिया गया:-

I. **वेट एवं सीएसटी पर सहायता-** टैक्सटाईल परियोजनाओं में टफ अंतर्गत अनुमोदित प्लांट एवं मशीनरी की निवेश की सीमा तक 100 प्रतिशत की दर से 10 वर्षो हेतु प्रतिपूर्ति शर्तो के अध्याधीन दी जावे। कुल सहायता इकाई द्वारा जमा किये गये कर से अधिक नहीं होगी।

II. **प्रवेश कर से छूट-** प्रथम कच्चा माल क्रय दिनांक से 10 वर्षो हेतु शर्तो के अध्याधीन दी जावे।

III. **ब्याज अनुदान-** टफ अंतर्गत अनुमोदित प्लांट एंव मशीनरी हेतु लिये गये टर्म लोन पर 5 वर्ष के लिये 5 प्रतिशत की दर से शर्तो के अध्याधीन दी जावे।

IV. **विद्युत शुल्क पर छूट-** नवीन अथवा विद्यमान विद्युत कनेक्शन अंतर्गत लिये जाने वाले अतिरिक्त विद्युत भार पर 33 केव्ही कनेक्शन के लिए 5 वर्षों की अवधि, 132 केव्ही कनेक्शन के लिए 7 वर्षों की अवधि एवं 220 केव्ही कनेक्शन के लिए 10 वर्षों की अवधि तक विद्युत शुल्क से छूट दी जावे।

V. **विद्युत टेरिफ में रियायत-** नवीन एवं विद्यमान विद्युत कनेक्शन अंतर्गत लिये जाने वाले अतिरिक्त विद्युत भार पर विद्युत टेरिफ में रू. 1.00 (रूपये एक) प्रति यूनिट की दर से परियोजना में वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक से 5 वर्ष तक रियायत दी जावे।

VI. उद्योग नीति, 2014 अंतर्गत अन्य सभी सुविधाएं प्रचलित नियमों के अनुसार दी जावे।

VII. कम्पनी की शेष अन्य मांगों को अमान्य किया जावे।

अन्य सुविधाएं-

1. **स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क से मुक्ति-** परियोजना के क्रियान्वयन हेतु ग्राम तामोट, जिला रायसेन में मेसर्स सागर मेन्युफेक्चरिंग प्रा.लि. अथवा/ और समूह के आधिपत्य की भूमि प्रवर्तित कंपनियों/ अनुषांगिक कम्पनी/ सहयोगी कम्पनी/ एस.पी.व्ही/ नवीन कम्पनी के बीच अमलगेशन/ मर्जर/ एक्वीजेशन/ हस्तांतरण के फलस्वरूप भूमि के अंतरण/क्रय के लिखत एवं उक्त भूमि के अतिरिक्त क्रय की गयी अथवा क्रय की जाने वाली नवीन भूमि पर देय स्टांप ड्यूटी, पंजीयन शुल्क एवं अन्य प्रभारित की प्रतिपूर्ति वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग द्वारा की जावे।

2. **प्रशिक्षण हेतु व्यय की प्रतिपूर्ति-** कम्पनी द्वारा प्रस्तुत नवीन अभ्यावेदन जिसमें उसने प्रस्तावित परियोजनांतर्गत मध्यप्रदेश के मूल निवासी नवीन कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति संबंधी की गयी अतिरिक्त मांग, मंत्रि-परिषद समिति के समक्ष प्रस्तुत की गयी। समिति द्वारा विचारोपारांत निर्णय लिया गया कि पूर्व में अन्य परियोजनाओं को अन्य टेक्सटाईल परियोजनाओं को स्वीकृत प्रशिक्षण व्यय प्रतिपूर्ति के समान कम्पनी की परियोजना में मध्यप्रदेश के मूल निवासी नवीन कर्मचारियों (नियमित एवं कान्ट्रेक्ट कर्मचारियों सहित) को 4 माह तक 50 प्रतिशत वेतन की प्रतिपूर्ति अधिकतम रूपये 1 लाख तक की जावे। यह एकीकृत स्वीकृति प्रतिवर्ष अधिकतम रूपये 2 करोड़ की सीमा में होगी तथा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ होने की तिथि से 5 वर्षों के लिये देय होगी। इस प्रकार इस मद में अधिकतम रूपये 10 करोड़ के व्यय की एकीकृत प्रतिपूर्ति की जा सकेगी।

3. टेक्सटाईल परियोजनाओं में टफ अतर्गत अनुमोदित प्लांट एवं मशीनरी वस्त्र मंत्रालय, भारत शासन के संकल्प क्रमांक 6/4/2007-सी71, नवम्बर, 2007 में वर्णित TUFS (Technology Upgradation Fund Scheme) अंतर्गत प्लांट एवं मशीनरी माना जावे।

4. जीएसटी प्रणाली लागू होने पर, कंपनी की परियोजना को वेट एवं सीएसटी की सहायता समानुपातिक रूप से निरंतर देय होगी। कुल सहायता राशि इकाईयों द्वारा जमा किये गये कर से अधिक नहीं होगी।

5. कम्पनी की परियोजना को स्वीकृत सुविधाओं का विशेष पैकेज का लाभ इस शर्त पर प्राप्त होगा कि इस परिप्रेक्ष्य में आदेश जारी होने के दिनांक से 3 वर्ष में परियोजनाओं में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर लिया जावेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार

(मोहम्मद सुलेमान)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग
भोपाल, दिनांक 13/02.2017

क्रमांक एफ 16-13/2016/ए-ग्यारह
प्रतिलिपि,

1. प्रमुख सचिव (समन्वय), मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग/ऊर्जा विभाग/वाणिज्यिक कर विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कॉर्पोरेशन लि., भोपाल।
4. आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल।
5. कलेक्टर, जिला रायसेन।
6. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (भोपाल) लि., भोपाल।
7. श्री सुधीर कुमार अग्रवाल, डायरेक्टर, मेसर्स सागर मेन्यूफेक्चरर्स प्रा.लि., द सागर, ई-2/4, अरेरा कालोनी, भोपाल-462016

- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग